प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं ।

प्रतिवेदन में 2015–16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए प्रकरणों के साथ–साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आए थे लेकिन विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके, आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।